RAJYA SABHA

Wednesday the 9th December, 1998/18 Pahayara 1920 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Chairman in the Chair

RAL ANSWERS TO QUESTIONS

141. [*The questioner (Shri Rahasbehari Barik was absent. For Answer, vide Col. 29 infra]*

Nexalite Menace in M.P.

*142. SHRIMATI VEENA VERMA:† SHRI AKHILESH DAS:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of Madhya Pradesh had sougth Centre's aid and clearance for Rs.38 crore action plan to deal with the naxalite menace;

(b) if so, the details of the plan and Government's reaction thereto;

(c) whether similar action plans are contemplated for other naxal affected States like Maharashtra, Orissa, Bihar and Andhra Pradesh; if so, the details thereof; and

(d) the steps contemplated to coordinate the anti-naxalite operations in these States?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Government of Madhya Pradesh have sent an Action Plan for anti-naxalite operations in the State, projecting an amount of Rs. 38.63 crores, seeking Central financial assistance for providing mobility to the police, to protect police personnel from land mines/ explosions, upgradation of the communication system, making provision of modern equipment to the police personnel, providing them with modern weapons and vehicles etc.

The proposal is under consideration of the Government.

(c) Other affected States have also sent their Action Plans for similar purposes. The details are as under:—

Andhra Pradesh	Rs. 197.90 crores
Bihar	Rs. 70.18 crores
Orissa	Rs. 8.60 crores

Government of Maharashtra are yet to send their Action Plan.

(d) The Union Home Minister convened a meeting of the Chief Ministers of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa on 15.6.1998 at Hyderabad to review the action being taken by these States to curb the activities of Left Wing Extremists. In this meeting, the following decisions were taken:—

(i) The existing laws such as the National Security Act will continus to be invoked by the concerned State Governments. Simultaneously, the States Governments could examine enactment of a separate law to deal with the left wing extremist problem;

(ii) A comprehensive Plan of Action encompassing developmental activities as well as stepped up security measures will be prepared by the States;

(iii) A Coordination Centre will be set up at Hyderabad for reviewing the progress of the Action Plan and to coordinate the efforts of the State Governments. Unon Home Secretary will be the Chairman of the Centre with Chief Secretaries and Directors General of Police of four States as Members.

Minister of Home Affairs has set up the Coordination Centre on 26.6.1998. State Government have been requested to take immediate action on the decisions taken at

† The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

the meeting. Action taken by the State Governments is being reviewed from time to time. The Coordination Centre has held its meetings on 19.7.1998 and 12.10.1998 to review the progress made in implementing the above decisions.

श्रीमती वीणा वर्मा: सभापति महोदय, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक कार्य-योजना नक्सलवाद से निपटने के लिए 38 करोड़ की बताई है और आपने भी अपने जवाब में बताया है कि 15.6.98 को हैदराबाद में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें बहुत सी योजनाओं के निर्णय हुए हैं। मध्यप्रदेश में नक्सलवाद से छतीसगढ़ में बस्तर, राजनांदगांव, बालाघाट, मंडला जिले प्रभावित हैं, इधर महाराष्ट्र के आसपास के कंकेड़, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा जैसे क्षेत्र और बिहार के आसपास से पेंड्रा रोड, बिलासपुर आदि जिले प्रभावित हैं। इससे निपटने के लिए राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रयत्न कर रही हैं। पीछे अभी लेटेस्ट वर्ष घटना 1998 में दांतेवाड़ा, बस्तर में इनकी एक्टिविटीज की घटना हुई, जिसमें नक्सलवादियों ने 16 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। यह नक्सलवाद काफी समय पूर्व से वेस्ट-बंगाल में जहां शुरू हुआ था, उसके चारूमाजूमदार प्रणेता थे। एक तरह से तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर इनसे निपटने की कोशिश करती रही हैं।

श्री सभापति: आपका क्वेश्चन बताइए, क्या है!

श्रीमती वीणा वर्मा: क्वेश्चन मेरा यह है, सर कि यह जो एक्टिविटीज है, इसमें बाहर से लोग नहीं आए हैं बल्कि यह ऐसे लोग हैं जो हमारे देश की शांति, सुरक्षा को भंग कर रहे हैं, खासतौर से ट्राइबल्स, वीकर सेक्शन आफ द सोसायटी के लोग उनसे मिलते हैं और उन पर ही अटेक करते हैं। यही लोग सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते है, जो गरीब सेक्शन है, गरीब तबके के लोग हैं, महिलाएं और बच्चे हैं, वही बड़ी संख्या में इसमें आते हैं, हत्या करते है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकारों ने अब तक जो प्रयास किए हैं, वह काफी हद तक विफल किये जाते हैं। यह जो सेक्शन पहले एक जगह था, यह जगह जगह और भी प्रदेशों में फैला है, जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में फैला है और ग्रुपों में फैला है। वीकर सेक्शन इससे प्रभावित है। वेस्ट-बंगाल ने तो इसको लैंड रिफार्मस के रूप में हल किया। तमिलनाडु ने अभी एक एक्ट बनाया है पाटा, प्रिवेंशन आफ टैरेरिस्ट एक्टिविटीज एक्ट, इससे निपटने के लिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या केन्द्र सरकार इस तरह की कोई लैंड रिफार्मस योजना लाकर करके इस तरह की एक्टिविटीज, जो एक सेक्शन में है गई है और कुछ जगह बढ़ गई है, को रोकने के लि प्रयास करेगी? क्या कोई नेशनल स्तर पर भी टेरो एक्टिविटीज से निपटने के लिए प्रयास होगा? और, जो नक्सलवाद देश में एक एंटी सोशल एलीमेंटस रूप में है, इनको विकास के पास लाने की कोशिश करेंगे? क्या कोई ऐसी योजना भी आपकी बनी है.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मान्यवर सभापति जी, कानून और व्यवस्था का दायित्व प्रमुख रूप से राज्य सरकारों पर है, किन्तु कानून और व्यवस्था की जो चुनौतियां हैं उनमें से नक्सली उग्रवाद को हम एक विशिष्ट श्रेणी की चुनौती मानते हैं और इस कारण पिछले दिनों जिन जिन प्रदेशों में नक्सली उग्रवाद कुछ भीषण रूप धारण कर चुका है, जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, तो इन मुख्यमंत्रियों के साथ एक सम्मेलन हमने हैदराबाद में किया था।

बिहार इसमें नहीं था, बिहार भी प्रभावित है इसी बात से और जहां एक ओर हम राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए सहायता देते हैं, वहां नक्सली उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को भी हम सहायता देते हैं। मध्य प्रदेश ने भी एक योजना हमारे सामने रखी है, जिसके आधार पर हम उनको सहायता देने के लिए तैयार है। इतना ही कहूंगा कि अभी उनको जो सहायता दी जाती रही है, विशेषकर आधुनिकीकरण के संदर्भ में, उसका जितना उपयोग होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा। मैंने देखे अभी आंकड़े, तो जैसे हाउसिंग के लिए भी हमने दिया, तो शायद मध्य प्रदेश में 15 प्रतिशत उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन हुआ है। यह बढ़ना चाहिए और इस दिशा में हम लगातार सभी राज्यों से सम्पर्क में हैं और सभी राज्यों को उपयुक्त सहायता देते रहते हैं।

श्रीमती वीणा वर्मा: इसमें कहा गया है कि बजट हम देंगे और कार्य योजनाएं भी मानी गई हैं, लेकिन यह बजट जो मध्य प्रदेश ने मांगा है 38 करोड़ रुपए का, आंध्र प्रदेश ने 198 करोड़ के करीब मांगा है, बिहार ने 70 करोड़ के करीब मांगा है....

श्री सभापति: ये आंकड़े तो उनके पास हैं, आप सवाल कीजिए।

श्रीमती वीणा वर्मा: बजट कब तक देंगे? यह बजट मध्य प्रदेश ने मांगा है और मध्य प्रदेश ने कार्य योजना बनाकर दी है। तो आप बजट कब तक देंगे? इसी के साथ-साथ मेरे सवाल का दूसरा भाग है कि केन्द्र सरकार इसको रोकने के लिए क्या कोई "टाडा" जैसा कानून बनाएगी, बनाने पर विचार करेगी और क्या

यह भी देखेगी कि आर्म्स कहां से मिलते हैं, क्या ओरिजिन आफ आर्म्स भी डिक्लेअर करेगी कि कहां से मिल, रहे हैं, कौन से आर्म्स हैं और क्या फॉरेन ऐलीमेंट्स भी हैं इसमें? आपने राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने कानून बनाएं, लेकिन केन्द्र सरकार इसके बारे में क्या करेगी, "टाडा" जैसा कोई और कानून बनाएगी? जैसे तमिलनाडु ने बनाया है, इसी तरह से अब केन्द्र सरकार क्या कोई ऐसा कानून बनाने का विचार करेगी?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: न केवल हम आर्थिक सहायता देते रहे हैं, इसके साथ ही साथ एक कोआर्डिनेशन सेंटर हमने हैदराबाद में स्थापित किया है जिसमें इन चार राज्यों के जो चीफ सैक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल आफ पुलिस हैं, वे बैठकें करेंगे और जिसकी अध्यक्षता केन्द्र के गृह सचिव करेंगे और लगातार नक्सली उग्रवाद का सामना करने के लिए समय-समय पर उस पर विचार करते रहेंगे। जुलाई के महीने में यह बना और दो बार इसकी बैठकें हो चुकी है।

आपने कानून का सवाल पूछा है, मुझे यह विडम्बना लगती है कि जिन लोगों ने उस समय बहुत विरोध किया, बहुत तीव्र विरोध किया और कहा कि हम "टाडा" को लैप्स होने देना चाहिए, वही आज इस जैसा कानून बनाने के लिए कहते हैं। जबकि हमारी राय थी कि "टाडा" एक विशिष्ट परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बनाया हुआ कानून था, उसको लेप्स नहीं करने देना चाहिए। आज प्रायः सब मुख्य मंत्री यह कहते रहते हैं कि कोई न कोई कानून इस प्रकार का केन्द्र बनाए। हमने उनको सुझाया है कि कुछ राज्यों ने कानून बनाया है, आप भी उस पर विचार करके बनाइएगा। आप जानते है कि क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट, एक विधेयक यहां पर राज्य सभा में ही प्रस्तुत किया गया था और वह अभी भी ज्यों का त्यों है। इस समय केन्द्र सरकार का अपनी ओर से इस प्रकार का कानून बनाने का विचार नहीं है लेकिन इस मामले में अगर कोई सहायता चाहिए तो हम जरूर करेंगे।

श्री अखिलेश दास: सभापति महोदय, नक्सलवाद की जो समस्या है, उसके गहन अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है और देखा यह गया है कि इसका प्रारंभ पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से चारू मजुमदार के नेतृत्व में हुआ...(**व्यवधान**)

श्रीमती कमला सिन्हा: नाम लेने की क्या जरूरत है, आप सवाल पूछिए।

श्री अखिलेश दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वहां कि सोशियो-इकनॉमिक एप्रोच थी? समस्या के संबंध में जो एप्रोच होनी चाहिए ,समस्या के निवारण के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के संबंध में सोशियो-इकानॉमिक जो एप्रोच थी, उसकी वजह से यह समस्या सॉल्व हुई क्योंकि पश्चिम बंगाल में यह समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, इन सब जगहों पर यह समस्या बढ़ती जा रही है। तो क्या भारत सरकार की ओर से इस तरह की कोई एप्रोच है? यह जो डिफेंस दूसरी जगह कराया गया है, पुलिस या पोलिटिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है, क्या वह एप्रोच ज्यादा बैटर है या सोशियो-इकनॉमिक एप्रोच के बारे में भारत सरकार का कोई कांप्रिहैंसिव प्लान है? यदि है तो पूरे भारत में उस प्लान को फैलाया जाए जिससे कि समस्या के मूल में जाकर उसका निवारण किया जा सके।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इस प्रकार की समस्याओं को एकांगी रूप से कभी नहीं देखना चाहिए। इसके लिए यह सोचना कि यह केवल मात्र कानून और व्यवस्था की समस्या है और इसीलिए सुरक्षा के काम और बढ़ने से ठीक हो जाएगी, यह गलत होगा। उतना ही गलत यह होगा अगर कोई यह समझे कि इसका संबंध केवल मात्र विकास से या भूमि-सुधार से है। केवल मात्र नहीं होता है, और भी कई कारण होते हैं, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते है। कुल मिलाकर विकास की ओर भी ध्यान देना होगा और साथ-साथ सुरक्षा की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। इस प्रकार की टू-प्रोंग्ड एप्रोच होगी तो काम होगा। यही एप्रोच हम सबको समझाते है कि don't try to simplify or make any simplistic analysis of the problem.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether the Government is aware that there is a sort of cooperation and nexus between various terrorist organisations in the country and whether the PWG of Andhra Pradesh is in touch with the LTTE and other extremist organisations in various parts of the country. Is the Central Government aware of this fact or will it make any inquiry with regard to this because the State Governments will not be able to reach the bottom of this issue, which has wider ramifications? That being the case is the Government of India aware that these people are imparting training to various extremist groups in

other parts of the country? If so, what is the action taken by the Government?

SHRI L. K. ADVANI: The Government is fully aware of this dimension of the problem. In fact, we believe that conscious efforts have been made in the past few years to try to build up a network of all these extremist organisations, in which the enemies of the country also have been trying to contribute what they can and it is, therefore, that we have not left it to the States only to deal with the problem and we have been trying to coordinate their efforts to assist them in their efforts to see to it that these designs of the country's enemies are frustrated.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, in the recent Chief Ministers' Conference, Shri Chandrababu Naidu, Chief Minister of Andhra Pradesh, requested the hon. Home Minister to compensate nearly two hundred crores of rupees which the Government has spent on the sensitive areas of Andhra Pradesh. Along with that, sophisticated arms have been requested and additional Police force has also been requested. What action has been taken by the Government so far?

SHRI L. K. ADVANI: They have given us an action plan and they have made their demands as to what kind of financial assistance they need. The Central Government has laid down precise guidelines as to what items can be covered in respect of Centrral assistance and, in accordance with that, we have been giving them the necessary assistance.

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Has any assiatnce been given so far?

SHRI L. K. ADVANI: It has been given.

श्री जनार्दन यादव: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चार राज्यों में नक्सलवाद को समाप्त करने की जो योजना बनाई थी जिसकी हैदराबाद में बैठक हुई। लेकिन बिहार उससे अछूता रह गया और बिहार में कैसे 11 जिले हैं जहां प्रत्येक महीने में बड़े नरसंहार होते हैं। बिहार में जो सरकार है वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जब तक केन्द्र बिहार में स्पेशल टास्क फोर्स नहीं भेजती है और उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं करती है तो बिहार के 11 जिलों में जो नक्सलवाद बढ़ा है और बड़े नरसंहार हो रहे है, गरीब मारे जा रहे हैं उस पर केन्द्र सरकार क्या करना चाहती है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सदस्य की चिंता मैं समझ सकता हूं क्योंकि बिहार में नक्सलवादी हिंसा का रूप उसके साथ-साथ जातिवाद भी जुड़ जाता है और कहीं-कहीं पर जिसको कह सकता हूं कि गुंडावाद भी जुड जाता है और इन तीनों का जो संकलित परिणाम है वह वहां की जनता के लिए बड़ा ही भयंकर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब भारत सरकार उसके बारे में भी चिंतित है और राज्य की सहायता इस मामले में जो भी हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। लेकिन और कुछ इसमें करने की जरूरत पड़ सकती है, यह मैं मानता हूं।

SHRI KULDIP NAYYAR: Mr. Minister, while it is true that their methods are reprehensible, and we all condemn violence, but they are not imbued by sordid motives. I don't know what methods have been adopted or what efforts have been made at political level because as you yourself said that it is also a political matter. I find that your emphasis has been on law and order. Probably, rightly so, to some extent. But, could you kindly tell us whether any effort has been made by the Government to win them over? After all, they have some political demands. Has any discussion been taken place, have people met them, either the Chief Ministers or some other people?

SHRI L.K. ADVANI: Efforts in this regard have mainly been at the State level. Earlier, there had been defferen phases. At one time, their organisation were banned. Subsequently, bans wer removed. There have been some movements like that of a pendulum, occasionally in States like Andhra. So far as the Central Government is concerned, the Central Government's counsel to all the States has been that you go right ahead with your development activities. Never say no to a dialogue and negotiation, if any these groups come to you for a

dialogue. If you want to involve us, we would also be willing to do so. Never say no to a dialogue. But, at the same time, keep the parameters very clear that no one should be encouraged to have a dialogue with the Government on the basis of secession, on the basis of sovereignty. These are the parameters which you should keep in mind. Otherwise, so far as sorting out the legitimate grievances of the people are concerned, even those who have taken recourse to violence under misguided guidance, there should be a willingness to have a dialogue with them. This is the broad approach. So far as the Government of India is concerned, wherever necessary, for example, we have been talking to the militants in Nagaland, and in Assam also, we have advised the State Government, if you want to involve us, we are willing to do so, but the parameters should be clear.

*143. [*The questioner (Shri Dilip Singh Judev was absent. For Answer, vide col. 30 infra.]*

Demand for coal during Ninth Plan

*144. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:†
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention had been drawn to the press reports regarding the differences between the Ministry of Coal and the Planning Commission regarding the demand project for coal during the Ninth Plan;

(b) if so, the details of the projection made by both these Departments;

(c) the basis of the different estimates of demand of coal; and

(d) the final opinion of the Ministry of Coal about the controversy?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI DILIP RAY): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Dipankar Mukherjee.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. The sector-wise demand projection as assessed by the Planning Commission and that estimated by the Ministry of Coal for the terminal year of 9th Plan i.e. 2001-02 is as under

Projected demand for the terminal years of 9th Plan (2001-02)

(In million tonnes)

Sector	Planning Commission's Assessment	Ministry of Coal's Assessment (June '98)
Coking Coal		
Steol & Coke ovens	51.60	51.60
Non-Coking Coal		
Power	262.00	237.47
Cement	21.40	18.37
BRK & Others	77.20	61.83
TOTAL	412.20	369.27

Discussions were held by the Planning Commission with the Ministry of Coal and Ministry of Power. Further discussions would be required to resolve the following diferences:

(i) The diference in estimates of the capacities of the existing power plants as between the planning Commission and the Ministry of Power's figures.

(ii) The feasibility of the Planning Commission fixing a target of 70% average PLF for all existing power plants to be attained by the year 2001-02.

(iii) The Ministry of Power has estimated that new power plants expected by 2001-02 would be 7949 Mega Watts as against the original programme of 18367 Mega Watts. However, they were of the view that the plants which will not come up by 2001-02 would come up in the early years of the 10th Plan. Consequently, the Ministry of Coal should not reduce the demand and production, as otherwise there would be shortfall in the 10th Plan.